

न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़
आर0एम0आर0 वाद सं0-04/2019-20

हीरालाल मंडल बगैरह
बनाम
दुलार टुडू

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	<u>आदेश</u> यह रिविजनवाद, रिविजनकर्ता (1) हीरालाल मंडल (2) मानिक मंडल दोनों का पिता-स्व0 विभूति मंडल (3) प्रकाश मंडल (4) आकाश मंडल, दोनों का पिता-स्व0 रामचन्द्र मंडल (5) अशोक मंडल (6) लोधीन मंडल दोनों का पिता-स्व0 स्वाधीन मंडल (7) श्यामचन्द्र मंडल (8) गणेश मंडल दोनों का पिता-स्व0 प्रयाग मंडल (9) नन्दलाल मंडल पिता-स्व0 किरण मंडल (10) प्रताप मंडल पिता-स्व0 प्रफूल्ल मंडल (11) पिन्दु मंडल (12) राम प्रसाद मंडल दोनों का पिता-स्व0 बिरबल मंडल (13) प्रेमचन्द्र मंडल (14) निपेन मंडल (15) बिरेन मंडल (16) लखीन्दर मंडल क्र0 13 से 16 तक का पिता-स्व0 मोहन मंडल, सभी का सा0-गोपालपुर, थाना-हिरणपुर, जिला-पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के RER वाद सं0-14/2015-16 में दिनांक 22.10.2016 को पारित आदेश के विरुद्ध दुलाड टुडू पति-स्व0 गायना मुर्मू, सा0-घाघरजानी, थाना-हिरणपुर, जिला-पाकुड़ को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है। मामला संक्षेप में यह है कि इस वाद की उत्तरवादी दुलार टुडू के द्वारा अंचल-हिरणपुर के मौजा नयाग्राम नं0-40 के खाता सं0-83 के दाग सं0-555 अन्तर्गत रकवा 01-09-13 धुर एवं दाग सं0-651 अन्तर्गत रकवा 05-16-15 धुर जमीन से इस वाद के रिविजनकर्ता सं0-01 एवं 02 तथा अन्य को उच्छेद करने हेतु निम्न न्यायालय में अनुरोध किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा आर0ई0आर0 वाद सं0-14/2015-16 संस्थित कर सुनवाई की गई तथा दाग सं0-651 एवं 406 से विपक्षीगण द्वारा खरीदगी भूमि से अतिरिक्त भूमि तथा दाग सं0-555 अन्तर्गत भूमि से विपक्षीगण को उच्छेद किया गया। यह रिविजन आवेदन निम्न न्यायालय द्वारा दाग सं0-651 से उच्छेदी हेतु पारित उक्त आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है। उत्तरवादी दिनांक-09.12.2022 से लगातार अनुपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वाद में उनकी कोई अभिरुची नहीं रह गई है। अतः वाद को Ex-Parte सुना	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्यवाही के लिए टिप्पणी, संशोधन, तारीख
1	2	3
	गया। रिविजनकर्ता के विज्ञा अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा हिरणपुर अंचल के मौजा-नयाग्राम न०-40 के जमाबन्दी सं०-83 के दाग सं०-651 अन्तर्गत भूमि से उच्छेदी हेतु पारित आदेश गलत एवं विधि विरुद्ध है। प्रश्नगत दाग सं०-651 अन्तर्गत कुल रकवा 05-16-15 धुर भूमि खतियान में खतियानी रैयत विशु टुडू के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत के वैध उत्तराधिकारी द्वारा निबंधित विक्रय केवाला सं०-591/1933 द्वारा उक्त दाग सं०-651 अन्तर्गत आंशिक रकवा 02-10-00 धुर भूमि सातु मंडल, शशी मंडल एवं बर मंडल को वर्ष 1933 में ही बेच दिया गया था। बाद में बसंत मंडल के दो पुत्रों के द्वारा अपने हिस्से की जमीन निबंधित विक्रय केवाला सं०-710/1997 द्वारा रामचन्द्र मंडल (रिविजनकर्ता 03 एवं 04 के पिता) को बेच दी गई। प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत के वंशजों द्वारा उक्त भूमि के अतिरिक्त दाग सं०-651 की शेष भूमि भी निबंधित केवाला सं०-386/1938, 617/1935 एवं 776/1935 द्वारा अन्य व्यक्तियों को बेचा गया। रिविजनकर्तागण उक्त सातु मंडल एवं शशी मंडल के वंशज एवं वैध उत्तराधिकारी हैं। उनका आगे कहना है कि प्रश्नगत भूमि विक्रयशील मौजा में अवस्थित है तथा SPT Act 1949 की धारा 20 एवं 42 इसपर प्रभावी नहीं होगी। दाग सं०-651 अन्तर्गत रकवा 02-10-00 धुर भूमि वर्ष 1933 में ही खतियानी रैयत के वंशज द्वारा बेच दी गई है। SPT Act 1949 के लागू होने की तिथि के पूर्व लगातार 12 वर्षों के दखल-कब्जा के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर Occupancy Right, or Adverse Possession उत्पन्न हो चुका है। निम्न न्यायालय द्वारा विक्रयशील भूमि पर उच्छेदी का आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। उनके द्वारा रिविजन आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों से उत्तरवादी का पक्ष यह है कि प्रश्नगत दाग सं०-651 विगत सर्वे खतियान में विशु टुडू के नाम से दर्ज है। उत्तरवादी उक्त खतियानी रैयत की पुत्री लुखी टुडू के पुत्र गायना मुर्मू की पत्नी है। इस आधार पर वे प्रश्नगत भूमि की वैध उत्तराधिकारी है। प्रश्नगत दाग सं०-651 में जबरन दखल-कब्जा किया गया है। सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। दाखिल कागजातों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत दाग सं०-651 अन्तर्गत रकवा 05-16-15 धुर जमीन विगत	

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी, तारीख
सहित

1

2

3

सर्वे खतियान में विशु दुडू के नाम से दर्ज है। विशु दुडू के उत्तराधिकारी द्वारा उक्त भूमि में से आंशिक रकवा 02-10-00 धुर जमीन वर्ष 1933 में ही निबंधित विक्रय केवाला सं0-591/1933 द्वारा सातु मंडल, शशी मंडी एवं वसंत मंडल को बेच दी गई थी। बाद में उक्त भूमि निबंधित केवाला सं0-710/1997 द्वारा रामचन्द्र मंडल ने क्रय किया। रिविजनकर्ता उक्त रामचन्द्र मंडल के उत्तराधिकारी है। प्रतिवेदनानुसार प्रश्नगत भूमि विक्रयशील भूमि है। अर्थात् उक्त भूमि का हस्तांतरण किया जा सकता है। SPT Act 1949 की धारा 20(i) निम्नवत् है :-

“No Transfer by a raiyat of his right in his holding or any portion thereof, by sale, gift, mortgage, will, lease or any other contract or agreement, express or implied, shall be valid unless the right to transfer has been recorded in the record-of-right, and then only to the extent to which such right is so recorded.”

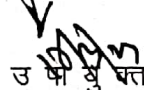
अर्थात् किसी रैयत द्वारा अपने अधिकार का हस्तांतरण किसी भी रूप में नहीं किया जा सकेगा, जबतक कि हस्तांतरण का अधिकार Record of Right में दर्ज न हो। हस्तांतरण भी उसी हद तक किया जा सकेगा, जितना Record of Right में दर्ज हो। प्रश्नगत भूमि विक्रयशील है ऐसे में उक्त भूमि का हस्तांतरण धारा 20(i) का उल्लंघन नहीं है।

धारा 42 का उद्धरण निम्नवत् है :-

“The Deputy Commissioner may be at any time either of his own motion or on an application made to him pass an order for ejectment of any person who has encroached upon, reclaimed, acquired or come into possession of agricultural land in contravention of the provisions of the Act or any law or any thing having the force of law in the Santal Parganas.”

उक्त धारा से यह स्पष्ट है कि SPT Act 1949 या किसी अन्य कानून जो संथाल परगना में प्रभावी है, का उल्लंघन कर यदि कोई व्यक्ति किसी कृषि भूमि पर अतिक्रमण करता है तो उसे उस भूमि से बेइखल किया जा सकता है।

स्पष्ट है कि SPT Act 1949 की धारा 20(i) का जब उल्लंघन नहीं हुआ है तो ऐसे में धारा 42 के तहत उच्छेदी का आदेश पारित करना विधि विरुद्ध है। SPT Act 1949 की धारा 20(2) भी इस मामले में प्रभावी नहीं हो सकती है क्योंकि भूमि का विक्रय वर्ष 1933 में ही किया जा चुका है। SPT Act 1949 के लागू होने के पूर्व इस अधिनियम की धारा 20(i) के सदृश्य एक प्रावधान Santhal Parganas Settlement

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी सहित
1	2	3
	Regulation, 1872 (Regulation III of 1872 की धारा 27 में वर्णित है। उक्त धारा 27 का उद्धरण निम्नवत है – 27(1) No transfer by a raiyat of his rights in his holding or any portion thereof, by sale, gift, mortgage, lease or any other contract or agreement, shall be valid unless the right to transfer has been recorded in the record of rights; and then only to the extent to which such right is so recorded. (2) No transfer in contravention of sub section (I) shall be registered, or shall be in any way recognized as valid by any court, whether in the exercise of Civil, Criminal or Revenue Jurisdiction. (3) If at any time it comes to the notice of the Deputy Commissioner that a transfer in contravention of sub section(I) has taken place he may in his discretion , evict the transferee and either restore the transferred land to the raiyat or any heir of the raiyat who has transferred it, or re-settle the land with another raiyat according to the village custom for the disposal of an abandoned holding. उक्त Regulation 1872 में SPT Act 1949 की धारा 20 (2) जैसा कोई प्रावधान नहीं है। स्पष्ट है कि SPT Act 1949 के लागू होने के पूर्व उस समय के प्रभावी कानून के अनुसार Tribal व्यक्ति ^{द्वारा} Non tribal व्यक्ति को विक्रयशील मौजा में जमीन का हस्तान्तरण करने पर कोई रोक नहीं थी। चूंकि प्रश्नगत भूमि का हस्तान्तरण वर्ष 1933 में ही हो चुका है अतः इस बिन्दु पर इसे अवैध नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है। अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर रिविजन आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त (set-aside) किया जाता है। उभय पक्ष के विज्ञा अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें। लेख्यपित एवं संशोधित।  उ. पी. सिंह, पाकुड़।  उ. पी. सिंह, पाकुड़।	